100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रूपये ONE HUNDRED RUPEES

न्यास पत्र

न्यास का नाम स्व0 प्रताप सिंह भदौरिया एजुकेशनल वेल्फेयर ट्रस्ट हम कि विजेंद्र बहादुर सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रताप सिंह निवासी नगर पंचायत बहुआ मोहल्ला 21 जवाहर नगर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ :– मुख्य न्यासी

एवं जितेंद्र बहादुर सिंह पंत्र स्व0 श्री प्रताप सिंह निवासी नगर पंचायत बहुआ मोहल्ला 21 जवाहर नगर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। (उप मुख्य न्यासी)

विदित हो कि पक्ष कर्ता सार्वजनिक हित युवा उत्थान एवं शिक्षा प्रचार हेतु एक न्यास का गठन किया है जो निम्न है :–

1. यह कि न्यास का गठन अंकन रूपया 5000 मात्र से आरम्भ किया जा रहा है।

2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त न्यास का रिकार्ड कार्यालय नगर पंचायत मोहल्ला 21 जवाहर नगर बहुआ में स्थित होगा। उक्त न्यास के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा उसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्त एवं बावत इसके कार्यालय की देश व प्रदेश की राजधानी व अन्य स्थानों पर स्थापना की जायेगी और उन कार्यालयों के पतों पर न्यास मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण भी आवश्यकतानुसार भी कराया जा सकेगा

3.यह कि हम मुकिर न्यास मजकूर के संस्थापक व मुख्य न्यास होंगे तथा न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों जो कि न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में न्यास न्यासी के रूप में कार्य करने को सहमत हैं। न्यास का न्यासित नामित करता हूँ इस प्रकार नामित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जायेगा तथा मुख्य न्यासी व न्यासियों को संयुक्त रूप से न्यासी मण्डल कहा जायेगा

100Rs.

2

1. विजेंद्र बहादुर सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रताप सिंह निवासी नगर पंचायत बहुआ मोहल्ला 21 जवाहर नगर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश का हूँ।
2. जितेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र श्री स्व0 श्री प्रताप सिंह निवासी नगर पंचायत बहुआ मोहल्ला 21 जवाहर नगर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश का हूँ।
3. श्रीमती कमला देवी पत्नी विजेन्द्र बहादुर सिंह निवासी नगर पंचायत बहुआ मोहल्ला 21 जवाहर नगर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश की हूँ।
4. श्रीमती शशि सिंह पत्नी जितेन्द्र निवासी नगर पंचायत बहुआ मोहल्ला 21 जवाहर नगर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश की हूँ।
5. अजय प्रताप सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र बहादुर सिंह निवासी नगर पंचायत बहुआ मोहल्ला गांधी नगर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश का हूँ।
6. स्मिता सिंह पत्नी श्री अजय प्रताप सिंह निवासी नगर पंचायत बहुआ मोहल्ला गांधी नगर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश की हूँ।
7. आदित्य प्रताप सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र बहादुर सिंह निवासी नगर पंचायत बहुआ मोहल्ला 21 जवाहर नगर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश का हूँ।
8. अभय प्रताप सिंह पुत्र श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह निवासी नगर पंचायत बहुआ मोहल्ला 21 जवाहर नगर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश का हूँ

विजेंद्र बहादुर

100Rs.

न्यास के उद्देश्य निम्न लिखित हैं :–

1. समाज के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं सचांलन हेतु कार्य करना।
2. निर्मल एवं असहायी के उत्थान में सहयोग करने के लिये प्रोत्साहन कार्यक्रम बनाना तथा संचालित करना।
3. अकाल भूंखा बाढ़ तथा सम्प्रदायिक एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य करना।
4. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना तथा आम जनता में चेतना जाग्रत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाना।
5. आमजन को परिश्रम करके धन अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना तथा युवाओं व शिक्षित बेरोजगारों को आत्मनिर्भरबनाने के लिये विभिन्न योजनाओं का संचालन करना।
6. समाज के लोगों के लिये उनके उत्थान से सम्बन्धित समस्त कार्य जो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों को गतिशील करने व स्थानीय समस्याओं को दूर करने में सहयोग हो, आयोजित कर सामाजिक जागरूकता पैदा करना।
7. नवयुवक, नवयुवतियों व छात्र–छात्राओं कोरचनात्मक दिशा देने एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, प्रबन्धन, विज्ञान, नर्सिंग इत्यादि कालेज की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।
8. वर्तमान समय में विज्ञान के जनजीव का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण इससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणर्थियों को अत्याधुनिक टैक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।
9. न्यास के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में महिला कल्याण केन्द्र, वाचनालय एवं अन्य कल्याण केन्द्रों की स्थापना करना।
10. सदस्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने एवं राष्ट्रीय चरित्र निर्माण हेतु समय–समय पर खेलकूद तथा सांस्कृतिक, शैक्षणिक सामाजिक एवं आध्यात्मिक विषयों पर विचार गोष्ठी का आयोजन करना।

100 Rs.

4

11. सदस्यों में सहकारिता एवं सहभागिता की भावना को विकसित करना।
12. निराश्रित अनुसूचित, अनुसूचित जन जाति पिछड़े एवं गरीब व असहाय बच्चों के लिये उच्च तकनीकी शिक्षा कम खर्च में उपलब्ध कराना।
13. सामाजिक असमानता को मिटाने के लिये धार्मिक तथा समाज सुधार के कार्यक्रमों को आयोजित करना तथा इस हेतु कैम्प एवं सेमिनार का आयोजन करना।
14. युवकों के कल्याण हेतु यथा सम्भव प्रयास करना एवं उनके लिए विविध कार्यक्रमों का संचालन करना तथा हर स्तर के छात्रों एवं छात्राओं के अध्ययन एवं आवास के समस्या के निराकरण हेतु छात्रावासों का निर्माण करना।
15. भारतीय नागरिकों के कल्याणार्थ ऐसे सभी कार्य करना जो न्यास मण्डल संकल्पित करें जैसे माध्यम निषेध कार्यक्रम, परिवार नियोजन एवं एड्स रोग की रोकथाम, विकलांगता दूर करना, कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, महिला उत्थान के कार्यक्रम इत्यादि।
16. पर्यावरण सुरक्षा से सम्बन्धित हर सम्भव प्रयास करना। प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की व्यवस्था तथा पशु पक्षियों एवं अन्य जानवरों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकने हेतु प्रयास करना।
17. पीड़ित व्यक्तियों को सर्वसुलभ सस्ती चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिये चिकित्सालय की स्थापना व संचालन करना तथा इससे संबंधित विभिन्न विधाओं की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये चिकित्सकीय महाविद्यालयों की स्थापना करना।
18. अन्धापन, घेंघापन, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, कैन्सर एवं एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने सम्बन्धित कार्यों को करना तथा उक्त रोगों से बचाव के लिये जागरूकता अभियान चलाना।
19. विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी की प्रचार–प्रसार के लिये सम्बन्धित समस्त कार्यों को करना तथा विभिन्न स्तर के तकनीकी शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिये तकनीकी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना।

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

5

20. समाज उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करने तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।

21. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न इकाईयों की सुचारू व्यवस्था के लिये अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिये समितियों एवं उपसमितियों का गठन करना।

22. न्यास की अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारू रूप से संचालन के लिये समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली उपनियमों का गठन करना।

23. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्राविधानों को लिखित रूप से तैयार करना तथा इसके लिये धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, चन्दा इत्यादि निर्धारित करना तथा उनकी प्रबंध इकाईयां गठित करना।

24. न्यास के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिये लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।

25. न्यास की सम्पत्ति की देखभाल करना तथा न्यास की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यास की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना।

26. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था न्यास में निहित करना।

27. न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिये आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना और उनके हित में अन्य कार्यो को करना।

28. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैर सरकारी, विभागों से दान, उपहार अनुदान व अन्य रूप से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से न्यास के लिये सम्पत्ति की व्यवस्था करना और आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।

29. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्याय मण्डल द्वारा संकलित समस्त कार्यो को करना।

विनोद बहादुर

100 Rs.

6

5. न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी।

न्यास का गठन एवं संचालन :–

क. न्यास के मुख्य न्यासी आजीवन अध्यक्ष एवं प्रबन्धक होंगे जिन्हें अपने जीवन काल में अगले मुख्य न्यास को नामित करने का अधिकार होगा। यदि किन्ही परिस्थतियों में इस प्रकार अगले मुख्य न्यासी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य न्यासी की मृत्यु हो जाये तो उसके विधिक उत्तारधिकारियों स्यमेव न्यास के मुख्य न्यासी हो जायेंगे, किन्हीं परिस्थिति में यदि एक से ज्यादा विधिक उत्तराधिकारी हो तो उनमें से मुख्य न्यासी की नियुक्ति न्यास मण्डल के शेष सदस्यों द्वारा उनके योग्यता एवं न्यास हित में कार्य करने की क्षमता को देखते हुये की जायेगी।

ख. मुख्य न्यासी के अनुपस्थित, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता यदि की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित न्यासी मुख्य न्यासी के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत होंगे।

ग. न्यास मण्डल के किसी अन्य सदस्यों को उनके द्वारा न्यास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा न्यास के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में न्यास मण्डल द्वारा उन्हें न्यास से पृथक कर दिया जायेगा। और उनके स्थान पर सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को न्यास मण्डल की बहुमत से न्यासी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा।

घ. यदि कोई न्यासी उक्त प्रकार से न्यास से पृथक नहीं किया जाता है यदि उसे न्यास मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा और उनकी मृत्यु या स्वेच्छया पद त्याग करने की स्थिति में मुख्य न्यासी द्वारा उनके विधिक उत्तराधिकारी का न्यास मण्डल की राय से न्यासी के रूप में सम्मिलित करने का अधिकार होगा। न्यास के किसी विधिक उत्तराधिकारी के न्यास मण्डल

100 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs. 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी कोई भी व्यक्ति मुख्य न्यासी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।

च. वार्षिक बैठक में न्यास के साल भर के क्रिया कलापों पर विचार होगा और आय–व्यय पर विचार कर न्यास का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित निश्चय एवं निर्णय पर न्यास मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

न्यास का कोष :–

क. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यास का अपना एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार की सदस्यता शुल्क नेटवर्क के सम्बन्ध में प्राप्त योगदान, दान, अनुदान, चन्दा एवं सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों से प्राप्त राशियां एवं ली गयी ऋण राशियों निहित होगी।

ख. न्यास के कोष की व्यवस्था के लिये उसका खाता किसी डाकघर, या राष्ट्रीयकृत / मान्यता प्राप्त बैंक में खोला जायेगा जिसका संचालन मुख्य न्यासी द्वारा स्वयं अकेले अथवा उसी के द्वारा नामित किसी अन्य न्यासी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

न्यास के अभिलेख :– न्यास के अभिलेखों को तैयार करने, कराने व रख–रखाव का दायित्व मुख्य न्यास का होगा। मुख्य न्यासी द्वारा मुख्य रूप से न्यास के लिये सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेख का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

6. न्यास के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी।

क. यह कि न्यास मण्डल द्वारा न्यास के उद्देश्यों की प्रापति हेतु वित्तीय संस्थाओं व बैंकों इत्यादित से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और अन्य किसी भी उचित एवं वैधानिक माध्यम से न्यास की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में न्यास की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिये मुख्य न्यासी व एक अन्य न्यासी जिसे मुख्य न्यासी उचित समझे अधिकृत होंगे।

ख. यह कि मुख्य न्यासी की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिये भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या विकसित चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। न्यास मण्डल, न्यास की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।

8

ग. यह कि न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने या दुरूपयोग करने वालें को दण्डित करने का अधिकार न्यास मण्डल को प्राप्त रहेगा न्यास व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारों व कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य न्यासी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील न्यास मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

1. न्यास के आय व्यय व लेखा के परीक्षण हेतु मुख्य न्यासी द्वारा लेखा परीक्षण की नियुक्ति की जा सकेगी।

2. न्यास द्वारा या न्यास के विरूद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से की जायेगी जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत न्यासी द्वारा की जायेगी।

3. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा सुविधाओं का निर्धारण भी न्यास मण्डल के अधीन होगा। न्यास मण्डल बहुमत से स्वयं उनके कार्यों को करेगा तथा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त न्यास अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रति दिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।

4. न्यास मण्डल, न्यास के लिये वह भी कार्य करेगा जो न्यास के हितों के लिये आवश्यक हो तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।

5. न्यास की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्तें लागू होंगी।

6. इस बिलेख द्वारा किसी अचल सम्पत्ति का व्यवस्थापन नहीं किया गया है।

लिहाजा बदुरूस्ती होश हवाश अपने बिना किसी भय या दबाव के अपनी खुशी व रजमन्दी से स्व0 प्रताप सिंह भदौरिया एजुकेशनल वेल फेयर ट्रस्ट के गठन व स्थापना के बावत यह न्यास पत्र निष्पादित कर दिया और हस्ताक्षरित कर दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे।

दिनांक : 22.11.2007

ह0 गवाहान

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा ए0 के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुत कर्ता / विक्रेता का नाम व पता... विजेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र प्रताप सिंह
नि० [illegible] व जि० फतेहपुर

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

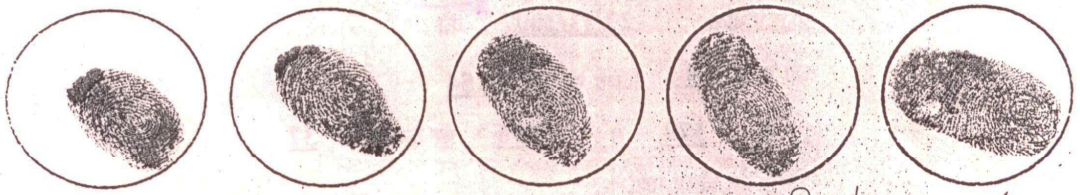

विजेन्द्र बहादुर सिंह

प्रस्तुत कर्ता विक्रेता / क्रेता का हस्ताक्षर

प्रस्तुत कर्ता / विक्रेता का नाम व पता...

....

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

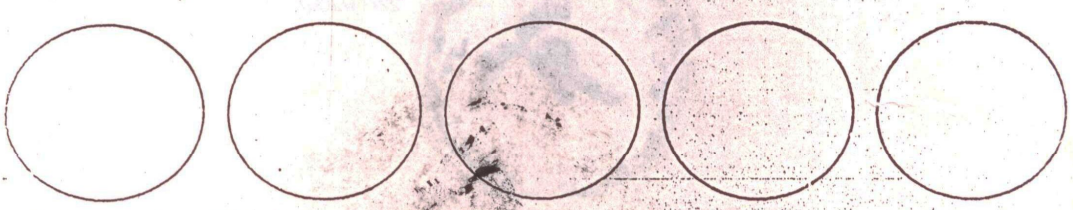

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

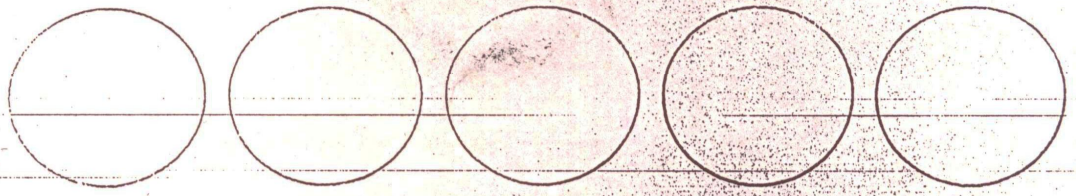

विक्रेता / क्रेता का हस्ताक्षर